

23-02-21 पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 26.02.21 को पेश हो।

(12)

26.02.21 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील उभय पक्ष उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया। बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान दिनांक 08.06.2016 का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि राजस्व भगेगा स्थित वादग्रस्त भूमि प्रार्थी खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी का अनुतोष चाहा है। अतः पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(12)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम बंधावाला भोपालपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 321 रकबा 1.67 है0 की प्रार्थी एवं पडौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान 08.06.2016 पत्थरगढ़ी की जावे। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो।



निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(12)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना